एम. डी. कलाम

बनाम

बिहार राज्य

आपराधिक अपील संख्या 239/2002

13 जुन, 2008

(डॉ. अरिजीत पासायत और पी.पी. नाओलेकर, जेजे.)

दंड संहिता, 1860 - धारा 376 सपठित धारा 511 - बलात्कार - नाबालिग का पीडित का साक्ष्य - प्रशंसा - आरोप कि अपीलकर्ता पीडब्लू6, एक 6 साल की लड़की को एक सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ बलात्कार किया - नीचे की अदालत ने पीडब्लू6 और उसकी मां के साक्ष्य पर भरोसा करते हुए अपीलकर्ता को दोषी ठहराया- दोषी को इस आधार पर चुनौती दी गई कि पीडब्लू6 के साक्ष्य को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था, विशेष रूप से किसी भी पुष्टि की अनुपस्थिति में - माना गया: पीडब्ल्यू 6 के साक्ष्य ठोस, विश्वसनीय और किसी भी भाव से मुक्त थे - घटना के तुरंत बाद उसकी मां को दिए गए पीडब्ल्यू 6 के बयान से पुष्टि - इसलिए, अपीलकर्ता की सजा उचित है - 5 साल की हिरासत की सजा न्याय के उद्देश्य को पूरा करेगी।

पीडब्ल्यू-4 ने एफआईआर दर्ज कराई कि अपीलकर्ता उसकी 6 साल की लड़की, पीडब्लू-6 को एक सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। विचारणीय न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ने पीडब्ल्यू 4 और 6 के साक्ष्य पर भरोसा करते हुए अपीलकर्ता को धारा 376 सपठित धारा 511 आईपीसी के तहत दोषी

ठहराया और उसे 500/- रुपये के जुर्माने के साथ 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

अपीलकर्ता की सजा को इस अदालत के समक्ष इस आधार पर चुनौती दी गई है कि बाल बलात्कार पीड़िता यानी पीडब्ल्यू 6 के साक्ष्य को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था, खासकर किसी भी पुष्टि के अभाव में। आगे यह तर्क दिया गया कि अपीलकर्ता को दी गई सजा कठोर थी।

दूसरी ओर, प्रतिवादी राज्य ने तर्क दिया कि एक बच्चे के गवाह की गवाही, विशेष रूप से इस प्रकृति के मामले में, यदि पीड़ित की गवाही विश्वसनीय है, तो पुष्टि की आवश्यकता नहीं है और इसके अलावा चूंकि पीडब्ल्यू6 ने घटना के तुरंत बाद पीडब्ल्यू-4 को बताया था। घटना के मामले में उसकी गवाही काफी महत्वपूर्ण है।

न्यायालय ने अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए माना कि: निचली अदालत और उच्च न्यायालय ने बच्चे के गवाह के साक्ष्य को ठोस, विश्वसनीय और सत्य का अंश पाया। हाई कोर्ट ने पाया कि पीड़िता के साक्ष्य किसी भी प्रभाव से मुक्त थे। इसलिए विचारणीय न्यायालय और उच्च न्यायालय ने पीड़ित के साक्ष्य पर भरोसा किया। इसके अतिरिक्त, घटना के तुरंत बाद पीडब्ल्यू-6 द्वारा अपनी मां को दिए गए बयान को पुष्टिकारक माना जाएगा। इसलिए उच्च न्यायालय ने सही ही अपीलकर्ता को दोषी ठहराया। सजा के सवाल पर आते हुए, 5 साल की हिरासत की सजा, विचारणीय न्यायालय द्वारा लगाया गया जुर्माना और उच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा जाना, न्याय के उद्देश्य को पूरा करेगा। (पैरा 5, 6, 7) (1161-ई-एच, 1161-ए,बी)

रामेश्वर पुत्र कल्याण सिंह बनाम राजस्थान राज्य (ए आई आर 1952 एससी 54) पंछी एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1998(7) एससीसी 177) का हवाला दिया गया।

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकारः आपराधिक अपील संख्या. 239/2022।

उच्च न्यायालय, पटना के आपराधिक अपील संख्या 280/2000 में पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 05.07.2001 से।

अपीलकर्ता उग्रशंकर प्रसाद।

उत्तरदाताओं के लिए गोपाल सिंह और मनीष कुमार।

न्यायालय का निर्णय अरिजीत पसायत, जे. द्वारा सुनाया गया।

1. इस अपील में चुनौती पटना उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को है। जिसमें अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया गया था, जिसके द्वारा उसने धारा 376 सपठित धारा 511 भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में आईपीसी) के तहत दंडनीय अपराध और विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आई, कटिहार द्वारा सुनाई गई। सजा डिफ़ॉल्ट शर्त के साथ 10 साल के कठोर कारावास और 500 रुपये के जुर्माने के लिए दोषसिद्धि की शुद्धता पर सवाल उठाया था।

2. पृष्ठभूमि तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं:

प्रथम सूचना रिपोर्ट 27.11.1997 को लगभग 6 वर्ष की उम्र की पीड़िता की मां द्वारा दर्ज कराई गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अपीलकर्ता पीड़िता को 25.11.1997 को एक सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ जबरन बलात्कार

किया। पीड़िता को भयानक दर्द सहना पड़ाA मोहल्ले के लोगों ने मामले में हस्तक्षेप करने की कोशिश की और प्राथमिकी दर्ज करने में कुछ देरी हुई। जांच की गई और आईपीसी की धारा 376 के तहत दंडनीय अपराध के कथित कमीशन के लिए आरोप पत्र दायर किया गया। पीड़िता पीडब्लू-6 के रूप में परीक्षित की गई, जबकि उसकी मां, मुस्तगीसा पीडब्ल्यू-4 के रूप में परीक्षित की गई। विचारणीय न्यायालय और उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता को धारा 376 सपठित धारा 511 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध का दोषी ठहराने के लिए पीडब्लू-4 और पीडब्लू-6 के साक्ष्य पर भरोसा किया और उसे उपरोक्त के अनुसार सजा सुनाई। उच्च न्यायालय के समक्ष अपील का कोई परिणाम नहीं निकला।

इस अपील में मूल चुनौती यह प्रतीत होती है कि विशेष रूप से किसी पुष्टि के अभाव में बाल गवाह के साक्ष्य को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था। यह भी संकेत दिया गया है कि सज़ा कठोर है।

राज्य के विद्वान वकील ने आग्रह किया है कि विशेष रूप से इस प्रकृति के मामले में एक बच्चे की गवाही की पुष्टि की आवश्यकता नहीं है यदि पीड़ित की गवाही विश्वसनीय है। यह भी बताया गया है कि पीड़िता ने घटना के तुरंत बाद अपनी मां को घटना के बारे में बताया था और इसलिए, उसकी गवाही काफी महत्वपूर्ण है।

3. चूँकि घटना के समय पीड़िता की उम्र 6 वर्ष थी। यदि बलात्कार के लिए दोषसिद्धि होती तो उचित दोषसिद्धि आईपीसी की धारा 376(2)(एफ) के तहत होती। धारा 376(2)(एफ) के तहत स्वीकार्य सजा आजीवन कारावास और न्यूनतम 10 साल है।

4. आईपीसी की धारा 511 इस प्रकार है:

"आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय अपराध करने का प्रयास करने के लिए सज़ा - जो कोई इस संहिता द्वारा आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय अपराध करने का प्रयास करता है, या ऐसा अपराध करवाने का प्रयास करता है, और ऐसे प्रयास में कोई कार्य करता है अपराध करने के लिए, जहां इस संहिता द्वारा ऐसे प्रयास की सजा के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है, अपराध के लिए प्रदान किए गए किसी भी विवरण के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि कारावास के आधे तक बढ़ सकती है। आजीवन कारावास या, जैसा भी मामला हो, उस अपराध के लिए कारावास की अधिकतम लंबी अवधि का आधा हिस्सा, या उस अपराध के लिए प्रावधानित जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जा सकता है।"

5. पंछी और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1998 (7) एससीसी 177) में इस अदालत द्वारा यह देखा गया कि एक बच्चे के गवाह के साक्ष्य को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है, लेकिन साक्ष्य का सावधानीपूर्वक और अधिक सावधानी से मूल्यांकन किया जाना चाहिए क्योंकि एक बच्चा है वह दूसरों द्वारा बताई गई बातों से प्रभावित होने के लिए अतिसंवेदनशील होता है और इस प्रकार एक बच्चा गवाह ट्यूशन का आसान शिकार होता है। अदालत को यह आकलन करना होगा कि क्या अदालत के समक्ष पीड़िता का बयान पीड़िता की स्वैच्छिक अभिव्यक्ति है और वह दूसरों के प्रभाव में तो नहीं थी। विचारणीय न्यायालय और उच्च न्यायालय ने बच्चे के गवाह के साक्ष्य को ठोस, विश्वसनीय और सत्य का अंश पाया है। उच्च न्यायालय ने पाया कि पीड़िता के साक्ष्य किसी भी प्रभाव से मुक्त थे। इसलिए विचारणीय न्यायालय और उच्च

न्यायालय ने पीड़ित के साक्ष्य पर भरोसा किया है। इसके अतिरिक्त, रामेश्वर सन ऑफ कल्याण सिंह बनाम राजस्थान राज्य (एआईआर 1952 एससी 54) मामले में इस अदालत की टिप्पणियों पर ध्यान देना उचित होगा। पैरा 25 में यह इस प्रकार है:

> "इसके बाद, मैं मामले के दूसरे पहलू की ओर मुड़ता हूं। उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों ने माउंट पूर्णी द्वारा अपनी मां को दिए गए बयान को उसके बयान की पुष्टि के रूप में इस्तेमाल किया है। सवाल उठता है कि क्या किसी साथी या शिकायतकर्ता के पिछले बयान को पुष्टि के रूप में स्वीकार किया जा सकता है?"

6. उत्तर यह था कि इसे पुष्टिकारक माना गया।

7. इसलिए जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता को दोषी ठहराया। सज़ा के सवाल पर आते हुए, हमारे अनुसार, विचारणीय न्यायालय द्वारा लगाए गए और उच्च न्यायालय द्वारा बनाए रखने वाले जुर्माने के साथ 5 साल की हिरासत की सज़ा न्याय के उद्देश्यों को पूरा करेगी।

8. उपरोक्त सीमा तक अपील स्वीकार की जाती है।

बी.बी.बी.

अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक, न्यायधिकारी नीरू सोनी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।